

Gender Budgeting
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी)

इस परियोजना का उद्देश्य जोखिमकारी व्यवसायों में लगे बच्चों पर ध्यान केन्द्रीत करके कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों के माध्यम से पुनर्वासित करना है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु लाभों के पैकेज में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, मनोरंजन, छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं। अन्य कार्यक्रमों में बाल श्रम से संबंधित कानूनों को कड़ाई से प्रवर्तन, बाल श्रम की बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना तथा कल्याण कार्यक्रमों का बाल श्रमिकों पर विस्तार करना शामिल है।

वर्ष 2005-06 के दौरान सार्वजनिक व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या का महिला-पुरुष आधारित विश्लेषण का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

कार्यक्रम	प्रत्याशित निष्कर्ष/उद्देश्य	कार्यक्रम/उप कार्यक्रम का महिला-पुरुष घटक	कुल सार्वजनिक व्यय 2005-06(योजना एवं गैर-योजना)			महिलाओं/बालिकाओं पर सार्वजनिक व्यय (2005-06)			अलग-अलग महिला पुरुष लाभार्थी (महिलाओं के लिए लाभों की सीमा) (2005-06)
			भारत सरकार		राज्य	भारत सरकार		राज्य	
			योजना गत	गैर-योजना गत		योजनागत	गैर-योजनागत		
बाल/महिला श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार	यथोक्त	रा.बा.श्र.प. स्कीम में निर्दिष्ट नहीं किए गए लाभार्थी बालक एवं बालिकाएं दोनों ही हैं।	100.81	--	--	*49.77 (49.37%)	--	--	लक्ष्य एवं निष्पादन महिला लाभार्थियों की संख्या/वास्तविक/वित्तीय अन्य
									लगभग 1,11,721 बालिकाएं लाभान्वित हुईं।

* क्योंकि कुछ राज्यों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं, बालिकाओं पर किया गया कुल वास्तविक व्यय प्रक्षेपित व्यय से भी अधिक रहने की संभावना है।

इसके अलावा, 14 राज्यों में चलाए जा रहे विभिन्न विशेष स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन के साथ उन पर व्यय की गई धनराशि निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम में बालिकाओं पर किए गए व्यय से संबंधित स्थिति

क्रम संख्या	राज्य का नाम	संचालित विशेष स्कूलों की संख्या (अद्यतन त्रै. प्र. रि. के अनुसार)	बच्चों का नामांकन		कुल संख्या में बालिकाओं का अनुपात	बालिकाओं पर व्यय की गई कुल धनराशि
			कुल	बालिकाएं		
1.	तमिलनाडु	395	17540	9723	0.55	54220526
2.	मध्य प्रदेश	153	7639	3658	0.48	12414284
3.	छत्तीसगढ़	218	10658	4872	0.46	16577845
4.	उड़ीसा	650	33479	17857	0.53	71696353
5.	झारखंड	130	6500	3288	0.51	14518988
6.	बिहार	195	8500	4064	0.48	17063809
7.	महाराष्ट्र	132	6615	3440	0.52	9251938
8.	कर्नाटक	270	13212	6915	0.52	25580932
9.	पश्चिम बंगाल	433	17095	9428	0.55	45845786
10.	उत्तर प्रदेश	1472	34171	15422	0.45	68551892
11.	राजस्थान	211	10495	6282	0.59	23911687
12.	आंध्र प्रदेश	1105	37882	22299	0.59	130096628
13.	पंजाब	107	4658	2339	0.50	7797625
14.	असम	95	4555	2134	0.47	5563860
कुल		5566	212999	111721	0.52	497693060

इण्डस परियोजना स्कीम

इस परियोजना का उद्देश्य जोखिमकारी व्यवसायों में लगे बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करके कार्य से हटाए गए बच्चों को परिवर्तित शैक्षिक केन्द्रों के माध्यम से पुनर्वासित करना है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु लाभों के पैकेज में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, मनोरंजन, छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं। अन्य कार्यकलापों में बाल श्रम से संबंधित कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन, बाल श्रम की बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना, किशोरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कल्याण कार्यकलापों का बाल श्रमिकों पर विस्तार करना शामिल है।

(रुपये करोड़ों में)

कार्यक्रम	प्रत्याशित निष्कर्ष/उद्देश्य	कार्यक्रम/उप कार्यक्रम का महिला-पुरुष घटक	कुल सार्वजनिक व्यय 2005-06(योजना एवं गैर-योजना)			महिलाओं/बालिकाओं पर सार्वजनिक व्यय (2005-06)			अलग-अलग महिला पुरुष लाभार्थी (महिलाओं के लिए लाभों की सीमा) (2005-06)
			भारत सरकार		राज्य	भारत सरकार		राज्य	
			योजना	गैर-योजना		योजना	गैर-योजना		
भारत-अमेरिका समान अनुदान योजना, अब इंडस परियोजना के रूप में पुनर्नामित	यथोक्त	लाभार्थी बालक एवं बालिकाएं दोनों ही हैं।	12.68	--	--	6.27	49.45	--	लगभग 21780 बालिकाएं लाभान्वित हुईं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण

इस योजना में उक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आत्मविश्वास निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं व्यवसायिक मार्ग दर्शन का प्रावधान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण-एवं-मार्ग दर्शन केन्द्र शामिल हैं । इन शिक्षण -एवं -मार्ग दर्शन केन्द्रों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं एजेन्सियों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है।

(रुपये करोड़ों में)

कार्यक्रम	प्रत्याशित निष्कर्ष/उद्देश्य	कार्यक्रम एवं उप-कार्यक्रम का महिला-पुरुष घटक	कुल सार्वजनिक व्यय 2005-06 (योजना एवं गैर-योजना) (रुपयों में)			महिलाओं /बालिकाओं पर सार्वजनिक व्यय (2005-06) (रुपयों में)			अलग-अलग महिला पुरुष लाभार्थी (महिलाओं के लिए लाभों की सीमा) (2005-06) लक्ष्य एवं निष्पादन महिला लाभार्थियों की संख्या /वास्तविक/वित्तीय अन्य
			योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	
अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	शिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार चाहने वाले अ.जा./अ.ज.जा. की पात्रता में वृद्धि	लाभार्थी पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही हैं ।	0.68	0.82	2.61	0.28	0.82	1.10	47647
						41.18%	42.49%	42.15%	

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी डब्ल्यू ई)

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं सहित सभी कामगारों में उनके अधिकार तथा उत्तरदायित्वों, के बारे में श्रम कानूनों सरकारी योजनाओं में तत्संबंधी उपबंधों, पारिवारिक बजट, सामाजिक बुराइयों आदि के बारे में जागरूकता लाना है। वर्ष 2005-06 के दौरान सार्वजनिक व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या का महिला-पुरुष आधारित विश्लेषण का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

कार्यक्रम	प्रत्याशित निष्कर्ष/उद्देश्य	कार्यक्रम एवं उप-कार्यक्रम का महिला-पुरुष घटक	कुल सार्वजनिक व्यय 2005-06 (योजना एवं गैर-योजना)		महिलाओं /बालिकाओं पर सार्वजनिक व्यय (2005-06)		अलग-अलग महिला पुरुष लाभार्थी (महिलाओं के लिए लाभों की सीमा) (2005-06)	अभ्युक्ति
			भारत सरकार	राज्य	भारत सरकार	राज्य		
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	यथोक्त	लाभार्थी पुरुष एवं महिला दोनों ही हैं।	योजना - 8.14 गैर योजना -16.20 कुल - 24.34	--	योजना - 4.72 गै.यो. - 0.03 कुल - 4.75 57.99%	--	215536	श्रमिक शिक्षा योजना, संगठित, असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक केन्द्रीय योजना है।